

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:— 438/2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

1. वेदप्रकाश पुत्र सरवन जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
2. वरदीप पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
3. शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।

—वादीगण

बनाम

1. सरवन उर्फ श्रवण पुत्र मलूराम जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
2. पूनम पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, नई धान मण्डी सादूलशहर जरिये मैनेजर ।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

प्रतिवादीगण

- उपस्थित —
1. श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट (वादीगण)
 2. श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)
 3. राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक:—20.12.2022

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता/दादा/ससुर तथा प्रतिवादीया संख्या 3 वादीगण संख्या 2 व 3 की पुत्री/बहिन है। वादीगण एवं वादी संख्या 1 के पिता वादी सं. 2 के दादा वादीया सं. 3 के ससुर सरवन उर्फ श्रवण पुत्र मलूराम के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 26 ए.एम.पी. के खाता सं. 133/106 में 0.253 है0 व इसी चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में योग खाता 3.555 है0 में से श्रवण उर्फ सरवनराम के नाम 1/2 हिस्सा पूनम, वरदीप, शारदादेवी के नाम 1/4 हिस्सा व वेदप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा इसी अनुसार चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में योग खाता 3.213 है0 में से श्रवण उर्फ सरवनराम के नाम 1/2 हिस्सा पूनम,वरदीप,शारदादेवी के नाम 1/4 हिस्सा व वेदप्रकाश के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जामबन्दी हमराह दावा है। कुल भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:—

चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 जमाबन्दी सम्वत 2073—76

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नम्बर
103/163	39	15 से 19, 21 से 24 / 2.277
103/164	44	1—2/0.506, 20/1/0.013
104/163	40	10—11—20/0.759 कुल क्षेत्रफल—3.555 है0 नहरी

चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 जमाबन्दी सम्वत 2073—76

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नम्बर
103/164	44	3/0.253 कुल क्षेत्रफल—0.253 है0 नहरी

चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 जमाबन्दी सम्वत 2072—75

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नम्बर
102/163	31	25/0.253



संख्या 3 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की जददी जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्मजात हिस्सा बनात है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि में किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहते उन्होंने अपने-अपने हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में छोड दी है। वादीगण उक्त भूमि के खातेदार-काश्तकार हो चुके हैं अब वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1,2 के नाम भूमि जरिये घोषणा द्वारा अपने-अपने नाम कराने के मुश्तहक एवं दावेदार है। वादीगण ने दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित समस्त भूमि का घरू विभाजन अच्छी मन्दी भूमि के आधार पर कर लिया है, मुताबिक घरू विभाजन वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में 0.253 है० तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को 0.772 है० शेष भूमि वादीगण संख्या 2 वरदीप व 3 शारदादेवी को प्राप्त हुई है तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में 1 वेदप्रकाश को 2.706 है० तथा 2 वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 0.507 है० हो चुकी है इसी अनुसार वादीगण की कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार हम वादीगण उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने-अपने नाम इन्द्राज कराने के मुश्तहक एवं दावेदार है। कब्जा काश्त का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) वादी संख्या 1 वेदप्रकाश पुत्र सरवन जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा को बहिब कब्जा काश्त:-

चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 व खाता संख्या 130/106

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
103/163	39	24/0.253
103/164	44	1/0.253, 2-3/0.506, 20/1/0.013
कुल क्षेत्रफल - 1.025 है० नहरी		

चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
102/164	32	2-3/0.506, 4/0.100 पश्चिमी पासा, 6/2/0.013, 7/0.215, 8-9-13-14/1.012, 15/0.114, 16/0.240, 17-18/0.506, कुल क्षेत्रफल - 2.706 है० नहरी महाकुल क्षेत्रफल- 3.731 है० नहरी

(ख) वादीगण संख्या 2 व 3 वरदीप पुत्र राजेन्द्र , शारदादेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिनान इन्द्रपुरा की बहिब कब्जा काश्त:-

चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
103/163	39	15 से 19, 21 से 23/2.024
104/163	40	10-11-20/0.759

कुल क्षेत्रफल - 2.783 है० नहरी

चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106



पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
102/163	31	25/0.253
102/164	32	4/0.026 पूर्वी पासा, 5/0.228,
		कुल क्षेत्रफल – 0.507 है० नहरी

महा कुल क्षेत्रफल— 3.290 है० नहरी

वादीगण मुताबिक घोषणा एवं घरू विभाजन अनुसार चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में सरवनराम पुत्र मलूराम का नाम कलमजन कर वेदप्रकाश का नाम अंकित करावे तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में श्रवण उर्फ सरवनराम का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को 0.772 है० शेष भूमि वादीगण संख्या 2 वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 2.783 है० भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करे तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में सरवनराम उर्फ श्रवण का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को 2.706 है० तथा वादीगण संख्या 2 वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 0.507 है० का खातेदार काश्तकार घोषित कर हिस्सा घटाये व बढ़ाये जाने के अधिकारी व दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि वे वादीगण जन्मजात एवं मुताबिक घरू विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर उनका खाता विभाजन करवा भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है। अन्य तथ्य वर वक्त वहस माननीय न्यायालय की आज्ञा से जारी किये जावेंगे।

लिहाजा वाद—वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी गण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे कि मुताबिक जन्मजात एवं घरू विभाजन अनुसार वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में 0.253 है० तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को 0.772 है० शेष भूमि वादीगण संख्या 2 वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 2.783 है० तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में 1 वेदप्रकाश को 2.706 है० तथा वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 0.507 है० भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में सरवनराम पुत्र मलूराम का नाम कलमजन कर वेदप्रकाश का नाम अंकित करावे तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में सरवनराम उर्फ श्रवण का नाम कलमजन कर वादीगण का हिस्सा घटाया व बढ़ाया जाकर कब्जा काश्त एवं विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जबाव स्टेट प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादीगण को याचित अनुतोष प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी संख्या 1 वेदप्रकाश ने अपने साक्ष्य



में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 26 एएमपी खाता सं. 130/101 ज.स. 2073-76, चक 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 ज.स. 2073-2076 व चक 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 ज.स. 2072-75 की जमाबंदी प्रदर्श 1 ता 3 करवाई गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अभिभाषक ने बहस में वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता/दादा/ससुर तथा प्रतिवादीया संख्या 3 वादीगण संख्या 2 व 3 की पुत्री/बहिन है। वादीगण एवं वादी संख्या 1 के पिता वादी संख्या 2 के दादा वादीया संख्या 3 के ससुर सरवन उर्फ श्रवण पुत्र मलूराम के नाम से वाद पत्र में वर्णितानुसार कृषि भूमि प्रदर्श-1 ता 3 में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने वाद पत्र को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाब दावा पेश किया है। पैतृक कृषि भूमि साक्ष्य के तौर पर वादीगण द्वारा चक 26 एएमपी खाता सं. 130/101 ज.स. 2073-76, चक 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 ज.स. 2073-2076 व चक 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 ज.स. 2072-75 की जमाबंदी की जमाबंदी प्रदर्श 1 ता 3 पेश की जो शामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे सामने नहीं आने से वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:- वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में 0.253 है० तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को 0.772 है० शेष भूमि वादीगण संख्या 2 वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 2.783 है० तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में 1 वेदप्रकाश को 2.706 है० तथा वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 0.507 है० भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में सरवनराम पुत्र मलूराम का नाम कलमजन कर वेदप्रकाश का नाम अंकित करे तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में सरवनराम उर्फ श्रवण का नाम कलमजन कर वादीगण का हिस्सा घटाया व बढ़ाया जाकर निम्नानुसार खाता/रकमराज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(क) वादी संख्या 1 वेदप्रकाश पुत्र सरवन जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा को बहिब कब्जा काश्त:-

चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 व खाता संख्या 130/106		
पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
103/163	39	24/0.253
103/164	44	1/0.253, 2-3/0.506, 20/1/0.013
कुल क्षेत्रफल - 1.025 है० नहरी		

चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106





डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 438/2022

1. वेदप्रकाश पुत्र सरवन जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. वरदीप पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. शारदा देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—वादीगण

बनाम

1. सरवन उर्फ श्रवण पुत्र मलूराम जाति जाट सा. इन्द्रपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. पूनम पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, नई धान मण्डी सादूलशहर जरिये मैनेजर।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

— प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री औमप्रकाश शर्मा एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 2 नवरत्न स्वामी एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में 0.253 है0 तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में वादी संख्या 1 वेदप्रकाश को 0.772 है0 शेष भूमि वादीगण संख्या 2 वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 2.783 है0 तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में 1 वेदप्रकाश को 2.706 है0 तथा वरदीप व 3 शारदादेवी को बहिब 0.507 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 133/106 में सरवनराम पुत्र मलूराम का नाम कलमजन कर वेदप्रकाश का नाम अंकित करे तथा चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 में तथा चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106 में सरवनराम उर्फ श्रवण का नाम कलमजन कर वादीगण का हिस्सा घटाया व बढ़ाया जाकर निम्नानुसार खाता/रकमराज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(क) वादी संख्या 1 वेदप्रकाश पुत्र सरवन जाति जाट साकिन इन्द्रपुरा को बहिब कब्जा काश्त:-

चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101 व खाता संख्या 130/106

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
103/163	39	24/0.253
103/164	44	1/0.253, 2-3/0.506, 20/1/0.013
कुल क्षेत्रफल - 1.025 है0 नहरी		

चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
102/164	32	2-3/0.506, 4/0.100 पश्चिमी पासा,
6/2/0.013, 7/0.215, 8-9-13-14/1.012,		
15/0.114, 16/0.240, 17-18/0.506,		
कुल क्षेत्रफल - 2.706 है0 नहरी महाकुल क्षेत्रफल-		
3.731 है0 नहरी		

(ख) वादीगण संख्या 2 व 3 वरदीप पुत्र राजेन्द्र, शारदादेवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिनान इन्द्रपुरा की बहिब कब्जा काश्त:-

चक नम्बर 26 एएमपी खाता संख्या 130/101

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
103/163	39	15 से 19, 21 से 23/2.024
104/163	40	10-11-20/0.759
कुल क्षेत्रफल - 2.783 है0 नहरी		

चक नम्बर 27 एएमपी खाता संख्या 139/106

पत्थर नं.	मु.नं.	किला नं.
102/163	31	25/0.253
102/164	32	4/0.026 पूर्वी पासा, 5/0.228,
कुल क्षेत्रफल - 0.507 है0 नहरी		

महा कुल क्षेत्रफल- 3.290 है0 नहरी

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज..... ×.....नल..... ×.....मुब्लिक..... ×.....निल..... ×.....बाबत्..... ×.....

निल.....100/-.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... ×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

